न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 119/2016(जी.सी.एम.एस. 2016/00335)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हुक्म सिंह पुत्र ठाकर सिंह जाति रायसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1 माया देवी पत्नी हुकम सिंह सिंह जाति रायसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 1/2. चिमन सिंह पुत्र हुकम सिंह सिंह जाति रायसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 1/3. हरबंस सिंह पुत्र हुकम सिंह सिंह जाति रायसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 1/4. अमरो बाई पुत्री हुकम सिंह पत्नी जगजीत सिंह जाति रायसिख निवासी कोठा तहसील श्रीगंगानगर। 1/5. सलविन्द्र कौर पुत्री हुकम सिंह पत्नी राज सिंह जाति रायसिख निवासी 17 एस तहसील श्रीकरणपुर। 1/6 कुलविन्द्र कौर पुत्री हुकम सिंह पत्नी मनजीत सिंह जाति रायसिख निवासी 27 ए तहसील अनुपगढ। 2. दर्शन सिंह पुत्र उतम सिंह जाति रायसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 3. मक्खन सिंह पुत्र उतम सिंह जाति रायसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 4. जीत कौर पत्नी उतम सिंह जाति रायसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		1. माला सिंह पुत्र ठाकर सिंह जाति रायसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. उतम सिंह पुत्र ठाकर सिंह(मृतक) 2/1. दलीप कौर पुत्री उतम सिंह पत्नी हुकम सिंह जाति रायसिख निवासी करनीखेडा तहसील व जिला फाज्लिका 2/2. प्रकाश कौर पुत्री उतम सिंह पत्नी गुरदेव सिंह जाति रायसिख निवासी गोविन्दगढ माझीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2/3. कन्तो पुत्री उतम सिंह पत्नी भगवन्त सिह जाति रायसिख निवासी छतरगढ तहसील व जिला बीकानेर। 3. हरदेवा बाई पुत्री ठाकर सिंह(मृतक) 3/1. मीतो बाई पुत्री लक्ष्मण सिंह पत्नी बक्शीश जाति रायसिख निवासी सादडका तहसील व जिला फाज्लिका। 3/2. शीलो बाई पुत्री लक्ष्मण सिंह पत्नी गुरदीप सिंह जाति रायसिख निवासी राणा पांचगराई तहसील गुरूहरसहाए पंजाब 3/3. परमजीत कौर पुत्री लक्ष्मण सिंह पत्नी गबर जाति रायसिख निवासी आतूवाला तहसील व जिला फिरोजपुर। 3/4. छिन्दो पुत्री लक्ष्मण सिंह पत्नी सुच्चा सिंह जाति रायसिख निवासी आतूवाला तहसील व जिला फिरोजपुर। 3/5. सुखचैन सिह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति रायसिख निवासी आलमका तहसील व जिला फिरोजपुर पंजाब। 4. पप्पी पुत्री उतम सिंह(मृतक) 4/1. हरी सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति रायसिख निवासी खेतावाली पुली तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। 4/2. सोनू सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति रायसिख निवासी खेतावाली पुली तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। 4/3. सुनीता पुत्री मलकीत सिंह जाति रायसिख निवासी खेतावाली पुली तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। 5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर। 6. सरजीत कौर पुत्री माला राम जाति रायसिख निवासी करणीखेडा तहसील व जिला फाज्लिका। 7. जंगीरो बाई पत्नी सुरजन सिंह पुत्री ठाकर सिंह जाति रायसिख निवासी खेतावाली पुली तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

तारीख रजू:— 30.05.2018

उपस्थितः1.श्री गुरदयाल सिंह मल्ली अधिवक्ता वादीगण
2.श्री मनजीत सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 3/1, 6
3.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7

—निर्णय— दिनांकः 22.08.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि हरदेवा कौर पुत्री ठाकर सिंह उक्त 6 सदस्यों का भारत पाक बंटवारे के पश्चात तहसील श्रीकरणपुर चक 2 ओ के खाता संख्या 55/39 के मुरब्बा नम्बर 3 की 4.730 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 74/32 की 0.127 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला भूमि, चक 10 ओ के खाता संख्या 46/44 के मुरब्बा नम्बर 22 की 1.594 हैक्टेयर भूमि, दोनों चको की कुल 6.451 हैक्टेयर भूमि आवंटित हुई थी। आवटन आदेश के मुताबिक ठाकर सिंह स्वंय को मिलाकर कुल 6 सदस्य थे। प्रत्येक 1/6 हिस्सा के अनुपात में प्रत्येक सदस्य के हिस्सा में 1.075 हैक्टेयर भूमि आती थी। उक्त आवंटित भूमि में से ठाकर सिंह, रामप्यारी, हुकम सिंह, माला सिंह, उतम सिंह, हरदेवा बाई

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

बराबर के हकदार थे। ठाकर सिंह ने अन्य पांच परिवार सदस्यों रामप्यारी, हुक्म सिंह, माला सिंह, उतम सिंह, हरदेवा बाई का हक व हिस्सा मारने की गर्ज से पटवारी हल्का से सांठ-गांठ करके दोनों चको की विवादित भूमि 6.451 हैक्टेयर का राजस्व रिकॉर्ड में अकेले के नाम अंकन करवा लिया। जो सरासर गलत है तथा वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है। ठाकर सिंह व उसकी पत्नी रामप्यारी की मृत्यु काफी अरसा पहले हो चुकी है। उन दोनों की मृत्यू के पश्चात उन दोनों की विवादित भूमि में से 2/6 हिस्सा का हक विरास्तन वादी हुक्म सिंह, माला सिंह, उतम सिंह, तीनों पुत्रों व हरदेवा बाई पुत्री को बहिस्सा बराबर-बराबर प्राप्त होता है। यानि ठाकर सिंह व रामप्यारी के मरने के पश्चात उन दोनों के हिस्सा की 2/6 हिस्सा भूमि में से वादी हुकम सिंह, प्रतिवादी माला सिंह मृतक उतम सिंह, मृतक हरदेवा बाई प्रत्येक के हिस्सा में 0.537 हैक्टेयर भूमि का हक प्राप्त होता है। इस प्रकार वादी हुक्म सिंह अपने पिता ठाकर सिंह के नाम दर्ज कुल 6.450 हैक्टेयर आंवटित भूमि में से 1/6 हिस्सा की भूमि 1.075 हैक्टेयर व ठाकर सिंह रामप्यारी के मरने के उपरान्त दोनों मृतको की 2.150 हैक्टेयर भूमि में बतौर वारिस 1/4 हिस्सा की 0.538 हैक्टेयर भूमि कुल 1.613 हैक्टेयर भूमि पाने का हकदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि मृतक ठाकर सिंह के नाम दर्ज कुल 6.450 हैक्टेयर विवादित भूमि में से कानूनन मुताबिक वादी हुकम सिंह के नाम 1.613 हैक्टेयर, माला सिंह प्रतिवादी 1.613 हैक्टेयर, मृतक उतम सिंह के नाम 1.612 हैक्टेयर, मृतक हरदेवा बाई के नाम 1.612 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाई जावे तो प्रतिवादी माला सिंह व मृतक उतम सिंह के वारिसान संख्या 2/1 ता 2/3 ने वादीगण के हिस्सा मुताबिक हिस्सा देने से दिनांक 10.09.2016 को साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर मृतक ठाकर सिंह के नाम दर्ज चक 2 ओ के खाता संख्या 55/39 के मुरब्बा नम्बर 3 की 4.730 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 74/32 की 0.127 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला भूमि, चक 10 ओ के खाता संख्या 46/44 के मुरब्बा नम्बर 22 की 1.594 हैक्टेयर भूमि, दोनों चको की कुल 6.451 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 हुकम सिंह को 1.613 हैक्टेयर भूमि व वादी संख्या 2, 3, 4 के मृतक पिता उतम सिंह पुत्र ठाकर सिंह को भी 1.613 हैक्टेयर भूमि का अन्य सहहिस्सेदार के साथ सहहिस्सेदार घोषित किया जाकर अपने हिस्सा का बंटवारा कर बंटवारा में आई भूमि का कब्जा दिलवाये जाने की डिक्री पारित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3/1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनजीत सिंह कचूरा उपस्थित आए। प्रार्थी सरजीत कौर की ओर से अधिवक्ता श्री मनजीत सिंह कचूरा ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रार्थी जंगीरो बाई की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मनजीत सिंह ने प्रार्थना पत्र धारा 11, 12 सीपीसी पेश किया, जो नोटप्रेस करने पर खारिज फरमाया गया। प्रतिवादी संख्या 3/1 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को उनके 1/6 हिस्सा भूमि का कब्जा दिलवाया जावे। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया। जो सामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को उनके 1/6 हिस्सा भूमि का कब्जा दिलवाया जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया। जो सामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 2/3, 3/2 ता 3/5, 4/1 ता 4/3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

3\. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या वादी हुकम सिंह चक 2 ओ के खाता संख्या 53/39 के मुरब्बा नम्बर 3 की 4.730 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 34/32 की 0.127 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला भूमि व चक 10 ओ तेजेवाला के खाता संख्या 46/44 के मुरब्बा नम्बर 33 की 1.594 हैक्टेयर कुल 6.451 हैक्टेयर भूमि में से 1.613 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है?

-जिम्मे वादी संख्या 1-

(ii) आया कि क्या वादी संख्या 2, 3 पिता उतम सिंह व वादी संख्या 4 उक्त 6.451 हैक्टेयर भूमि में से 1.613 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है?

-जिम्मे वादी संख्या 2,3,4-

(iii) आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 6 सरजीत कौर चक 2 ओ के खाता संख्या 53/39 के मुरब्बा नम्बर 3 की 4.730 हैक्टेयर भूमि, मुरब्बा नम्बर 74/32 की 0.127 हैक्टेयर भूमि व चक 10 ओ तेजेवाला के खाता संख्या 40/44 के मुरब्बा नम्बर 33 की 1.594 हैक्टेयर कुल 6.451 हैक्टेयर भूमि में से 1/6 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है?

-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 6-

(iv) आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 3/1 उक्त भूमि में से 1/6 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है?

-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3/1-

(v)अनुतोष।

4\. वादी अधिवक्ता के द्वारा वादी संख्या 1 के फौत होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 के वारिसान को बतौर वादी संख्या 1/1 से 1/6 के रूप में संयोजित किया गया। वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 असल सनद, जिसकी छायाप्रति प्रदर्श-1ए, साक्ष्य प्रदर्श-1, चक 2 ओ के खाता संख्या 55/39 की प्रति, साक्ष्य प्रदर्श-3 चक 10 ओ के खाता संख्या 46/44 की प्रति, प्रदर्शित करवाए व स्वंय वादी मक्खन सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। सांक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा शपथ पत्र पेश किया। जिरह वकील वादी के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

5\. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i) : आया कि क्या वादी हुकम सिंह चक 2 ओ के खाता संख्या 53/39 के मुरब्बा नम्बर 3 की 4.730 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 34/32 की 0.127 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला भूमि व चक 10 ओ तेजेवाला के खाता संख्या 46/44 के मुरब्बा नम्बर 33 की 1.594 हैक्टेयर कुल 6.451 हैक्टेयर भूमि में से 1.613 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी संख्या 1 की थी। वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र मे अर्ज किया है कि चक 2 ओ के खाता संख्या 55/39 के मुरब्बा नम्बर 3 की 4.730 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 74/32 की 0.127 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला भूमि, चक 10 ओ के खाता संख्या 46/44 के मुरब्बा नम्बर 22 की 1.594 हैक्टेयर भूमि, दोनों चको की कुल 6.451 हैक्टेयर भूमि आवंटित हुई थी। आवटन आदेश के मुताबिक ठाकर सिंह स्वंय को मिलाकर कुल 6 सदस्य थे। प्रत्येक 1/6 हिस्सा के अनुपात में प्रत्येक सदस्य के हिस्सा में 1.075 हैक्टेयर भूमि आती थी। उक्त आवंटित भूमि में से ठाकर सिंह, रामप्यारी, हुकम सिंह, माला सिंह, उतम सिंह, हरदेवा बाई बराबर के हकदार थे। ठाकर सिंह ने अन्य पांच परिवार सदस्यों रामप्यारी, हुक्म सिंह, माला सिंह, उतम सिंह, हरदेवा बाई का हक व हिस्सा मारने की गर्ज से पटवारी हल्का से सांठ-गांठ करके दोनों चको की विवादित भूमि 6.451 हैक्टेयर का राजस्व रिर्कोर्ड में अकेले के नाम अंकन करवा लिया। जो सरासर गलत है तथा वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है। ठाकर सिंह व उसकी पत्नी रामप्यारी की मृत्यु काफी अरसा पहले हो

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

चुकी है। उन दोनों की मृत्यू के पश्चात उन दोनों की विवादित भूमि में से 2/6 हिस्सा का हक विरासतन वादी हुक्म सिंह, माला सिंह, उतम सिंह, तीनों पुत्रों व हरदेवा बाई पुत्री को बहिस्सा बराबर-बराबर प्राप्त होता है। यानि ठाकर सिंह व रामप्यारी के मरने के पश्चात उन दोनों के हिस्सा की 2/6 हिस्सा भूमि में से वादी हुकम सिंह, प्रतिवादी माला सिंह मृतक उतम सिंह, मृतक हरदेवा बाई प्रत्येक के हिस्सा में 0.537 हैक्टेयर भूमि का हक प्राप्त होता है। इस प्रकार वादी हुक्म सिंह अपने पिता ठाकर सिंह के नाम दर्ज कुल 6.450 हैक्टेयर आंवटित भूमि में से 1/6 हिस्सा की भूमि 1.075 हैक्टेयर व ठाकर सिंह रामप्यारी के मरने के उपरान्त दोनों मृतको की 2.150 हैक्टेयर भूमि में बतौर वारिस 1/4 हिस्सा की 0.538 हैक्टेयर भूमि कुल 1.613 हैक्टेयर भूमि पाने का हकदार है। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत अलॉटमेन्ट दस्तावेजात प्रदर्श-1ए के मुताबिक चक 2 ओ, 10 ओ में 25 बीघा 14 बिस्वा भूमि 6 सदस्यों ठाकर सिंह, रामप्यारी, हुकम सिंह, माला सिंह, उतम सिंह, हरदेवा बाई को आवटिंत हुई थी। परन्तु प्रदर्श-2 चक 2 ओ के खाता संख्या 55/39 के मुरब्बा नम्बर 3 की 4.730 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 74/32 की 0.127 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला भूमि व प्रदर्श-3 चक 10 ओ के खाता संख्या 46/44 के मुरब्बा नम्बर 22 की 1.594 हैक्टेयर भूमि अकेले ठाकर सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। लिहाजा प्रदर्श-1ए से स्पष्ट है कि आवंटित 6.451 हैक्टेयर भूमि ठाकर सिंह, रामप्यारी, हुकम सिंह, माला सिंह, उतम सिंह, हरदेवा बाई बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक के नाम 1.075 हैक्टेयर भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। परन्तु सहवन से अकेले ठाकर सिंह के नाम 6.451 हैक्टेयर भूमि दर्ज कर दी गई है। उक्त छः सदस्यों को भूमि आवंटन होने के पश्चात ठाकर सिंह व रामप्यारी के दो और संतान सरजीत कौर व जंगीरो बाई पैदा हुए। वर्तमान में हुकम सिंह, माला सिंह, उतम सिंह, हरदेवा बाई, सरजीत कौर, जंगीरो बाई की माता रामप्यारी व पिता ठाकर सिंह फौत हो चुके है। इसलिए ठाकर सिंह व रामप्यारी की कुल 2.150 हैक्टेयर भूमि में से उक्त 6 सदस्य 1/6 हिस्सा यानि 0.358 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। यानि वादी हुक्म सिंह उक्त 6.451 हैक्टेयर भूमि में से 1.433 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। यह तनकी आशिंक बहक वादी संख्या 1 निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि क्या वादी संख्या 2, 3 पिता उतम सिंह व वादी संख्या 4 उक्त 6.451 हैक्टेयर भूमि में से 1.613 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी संख्या 2, 3, 4 की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 वादी संख्या 1 के पक्ष मे निर्णीत की जा चुकी है। लिहाजा वादी संख्या 2, 3, 4 मृतक उतम सिंह के वारिसान है। इसलिए उतम सिंह के हिस्से 1.433 हैक्टेयर भूमि में से उसके वारिसान प्रत्येक 1/7 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। यह तनकी आंशिक बहक वादी संख्या 2, 3, 4 विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (iii) आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 6 सरजीत कौर चक 2 ओ के खाता संख्या 53/39 के मुरब्बा नम्बर 3 की 4.730 हैक्टेयर भूमि, मुरब्बा नम्बर 74/32 की 0.127 हैक्टेयर भूमि व चक 10 ओ तेजेवाला के खाता संख्या 40/44 के मुरब्बा नम्बर 33 की 1.594 हैक्टेयर कुल 6.451 हैक्टेयर भूमि में से 1/6 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 6 की थी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत अलॉटमेन्ट दस्तावेजात प्रदर्श-1ए के मुताबिक चक 2 ओ, 10 ओ में 25 बीघा 14 बिस्वा भूमि 6 सदस्यों ठाकर सिंह, रामप्यारी, हुकम सिंह, माला सिंह, उतम सिंह, हरदेवा बाई को आवटिंत हुई थी। उस समय प्रतिवादी संख्या 6 सरजीत कौर व जंगीरो बाई पैदा नहीं हुए थे। वर्तमान में हुकम सिंह, माला सिंह, उतम सिंह, हरदेवा बाई, सरजीत कौर, जंगीरो बाई की माता रामप्यारी व पिता ठाकर सिंह फौत हो चुके है। इसलिए ठाकर सिंह व रामप्यारी की कुल 2.150 हैक्टेयर भूमि में से उक्त 6 सदस्य 1/6 हिस्सा यानि 0.358 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। लिहाजा यह तनकी आशिंक बहक प्रतिवादी संख्या 6 निर्णीत की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या (iv) आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 3/1 उक्त भूमि में से 1/6 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 3/1 की थी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत अलॉटमेन्ट दस्तावेजात प्रदर्श-1ए के मुताबिक चक 2 ओ, 10 ओ में 25 बीघा 14 बिस्वा भूमि 6 सदस्यों ठाकर सिंह, रामप्यारी, हुकम सिंह, माला सिंह, उतम सिंह, हरदेवा बाई को आवटिंत हुई थी। प्रतिवादी संख्या 3/1 मीतो बाई, मृतक हरदेवा बाई की वारिसान है। मृतक हरदेवा बाई का वादगत भूमि में से 1.433 हैक्टेयर भूमि हिस्सा बनता है। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 3/1 मीतो बाई 1/5 हिस्से की खातेदार घोषित होने की अधिकारी है। लिहाजा यह तनकी आशिंक बहक प्रतिवादी संख्या 3/1 निर्णीत की जाती है।

(v) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1, 2 आशिंक बहक वादीगण व तनकी संख्या 3, 4 आशिंक बहक प्रतिवादी संख्या 6, 3/1 निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 6, 3/1 का काउन्टर क्लेम भली-भांति आशिंक साबित होने से आशिंक स्वीकार किया राजस्व ग्राम 2 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 59/55 के मुरब्बा नम्बर 3, 74/32 की कुल 4.857 हैक्टेयर, राजस्व ग्राम 10 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 44/46 के मुरब्बा नम्बर 33 की कुल 1.594 हैक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 6.451 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 मृतक हुकम सिंह के वारिसान वादी संख्या 1/1 ता 1/6 को 1.433 हैक्टेयर भूमि का, मृतक उतम सिंह के वारिसान वादी संख्या 2, 3, 4, प्रतिवादी संख्या 2/1, 2/2, 2/3, प्रतिवादी संख्या 4 मृतक पप्पी (4/1 ता 4/3) को 1.434 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 1 माला सिंह को 1.433 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3 मृतक हरदेवा बाई के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3/1 ता 3/5 को 1.433 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 6 को 0.359 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 7 को 0.359 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
हुक्म सिंह आदि बनाम माला सिंह आदि
धारा अन्तर्गत **53, 88, 188 आरटीए** मुकदमा नम्बर **119/2016**
निर्णय दिनांक :-22.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री गुरदयाल सिंह मल्ली व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनजीत सिंह कचूरा, श्री सुधीर कुमार शर्मा** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 6, 3/1 का काउन्टर क्लेम भली-भांति आशिंक साबित होने से आशिंक स्वीकार किया राजस्व ग्राम 2 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 59/55 के मुरब्बा नम्बर 3, 74/32 की कुल 4.857 हैक्टेयर, राजस्व ग्राम 10 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 44/46 के मुरब्बा नम्बर 33 की कुल 1.594 हैक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 6.451 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 मृतक हुकम सिंह के वारिसान वादी संख्या 1/1 ता 1/6 को 1.433 हैक्टेयर भूमि का, मृतक उतम सिंह के वारिसान वादी संख्या 2, 3, 4, प्रतिवादी संख्या 2/1, 2/2, 2/3, प्रतिवादी संख्या 4 मृतक पप्पी (4/1 ता 4/3) को 1.434 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 1 माला सिंह को 1.433 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3 मृतक हरदेवा बाई के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3/1 ता 3/5 को 1.433 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 6 को 0.359 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 7 को 0.359 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। **शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।**

आज दिनांक 22.08.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	04	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**08**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
दिनांक: 22.08.2025

क्रमांक: रीडर/ 2025/ 642
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner